राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

टेलीफैक्स – 0141–2222403, ई–मेल –dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्मरण पत्र

क्रमांक – एफ 55( )Engg./CE/DLB/20/ 10687 – 10729 दिनांक :– 2/3/20

आयुक्त नगर निगम
जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर।
आयुक्त नगर परिषद
अलवर, झुन्झुनूं, नागौर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बांरा, सिरोही, पाली, भीलवाडा, झालावाड, बाडमेर, जैसलमेर, चित्तोड़गढ़, राजसमंद, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर, टोक, बुंदी, चुरु, सवाईमाधोपुर, करोली, दौसा, डूंगरपुर, सीकर, प्रतापगढ़।
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका
नोखा, नाथद्वारा एवं झालारापाटन, पुष्कर।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा ओए 606/2018 में पारित आदेशों की पालना में मॉडल सिटी/टॉउन बनाने के कम में।

संदर्भः– इस कार्यालय के पंत्र क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/20/3734-3765 दिनांक 23/01/2020

उपरोक्त विषयान्र्तगत लेख है कि इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जिला मुख्यालय की समस्त नगरीय निकायों को मॉडल सिटी/टॉउन बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों द्वारा ठोस कचरे का घर–घर कचरा संग्रहण, स्त्रोत पर पृथ्ककीकरण, मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट तक परिवहन शत प्रतिशत किया जा कर कचरे की प्रोसेसिंग सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि माननीय NGT के आदेशों की पालना मे कचरे का शतप्रतिशत निस्तारण तय समय सीमा में किया जाना है, जिसके लिये प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर उसके कियान्वयन की मॉनिटरिंग आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्तर पर की जाकर कार्यवाही की जानी है जिससे माननीय NGT को आगामी पेशी मे पालना रिपोर्ट भेजी जा सके।

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि माननीय NGT द्वारा पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये विभाग को पालना रिपोर्ट से अवगत किया जाना था परन्तु अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

अतः माननीय NGT के आदेशो की पालना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तय समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करवावें।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/20/ 10730 – 10741 दिनांक :– 2/3/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय, समस्त।
5. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned with CamScanner